न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री सन्तोष कुमार मीना आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या – 89/2016

निर्णय दिनांक– 06.08.2019

उनवान

1.जाहेदा बी पुत्री अ0 हमीद खां जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा
2..कबीर अहमद पुत्र कन्नो बी जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा
3..अ0 कययूम पुत्र कन्नो बी जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा
4.तनवीर खानम पुत्री कन्नो बी जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा
5.रूबी खानम पुत्री कन्नो बी जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा
6.अनीसा फातमा पुत्री कन्नो बी जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा दृ
7.अजीज फातमा पुत्री कन्नो बी जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहम्म्द उवेस पुत्र मो0 आरिफ जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोक
2. मोहम्म्द आसिफ पुत्र मो0 आरिफ जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा
3. फरजान पुत्री मो0 आबिद जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोक
4. थ्रजवाना पुत्री मो0 आबिद जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोक
5. म्सूदा बी बेवा मो0 आबिद जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोक
6. बैंक आफ बडोदा शाखा अलीगढ जरिये शाखा प्रबन्धक
7. तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत विभाजन आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री पी0सी0जैन वकील प्रार्थीगण

श्री बी0यू0 खान वकील प्रतिपक्षी 1 ता 5

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 88 ख0न0 156, 156/1436, 189, 190, 277, 1192, 1193 कुल किता 7 कुल रकबा 18.01 है0 वाके ग्राम सहादतनगर तहसील उनियारा तथा खाता संख्या 64 आराजी ख0न0 114 रकबा 3.79 है0 वाके ग्राम अहमदनगर तह0 उनियारा है। उक्त वर्णित आराजीया तमे 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का व 1/2 हिस्सा प्रतिपक्षी 1 ता 5 का है। जिसमे 1/4 हिस्सा प्रार्थी न0 1 का तथा 1/4 हिस्सा प्रार्थी न0 2 ता 7 का है। उक्त वर्णित आराजीयात का मौके पर प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी न0 1 ता 5 के पूर्वजों द्वारा ही विभाजन कर दिया गया था, जिसके अनुसार मौके पर अपने अपने हिस्से पर कब्जाकाश्त करते चले आ रहे है। प्रतिपक्षी न0 1 ता 5 की नियत मे कुछ समय से दुर्भावना उत्पन्न हो गयी है, वह प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे

Scanned by CamScanner

काश्त की आराजीयात को अपने हिस्से मे लेना चाहते है। जबकि प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की आराजीया तमे काफी पैसा खर्च कर अच्छी बनाई है। जिसमे प्रार्थीगण ने कुआ खुदवा रखा है। बिजल लगा रखी है तथा बोर लगी हुयी है। प्रतिपक्षी न0 1 ता 5 वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन नही होने से जबरन प्रार्थीगण के हिस्से मे आई भूमि को रहन बैचान करने पर आमादा है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह आराजीयात खाता संख्या 88 ख0न0 156, 156/1436, 189, 190, 277, 1192, 1193 कुल किता 7 कुल रकबा 18.01 है0 वाके ग्राम सहादतनगर तहसील उनियारा तथा खाता संख्या 64 आराजी ख0न0 114 रकबा 3.79 है0 वाके ग्राम अहमदनगर तह0 उनियारा मे प्रार्थीगण के हिस्से 1/2 मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे। ना काश्त मे बाधा डाले, ना भूमि को रहन, बैचान, हस्तान्तरण करे। प्रतिपक्षी न0 7 रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण 1 ता 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण को प्रतिपक्षी न0 1 व 2 के पितामह द्वारा उनके हिस्से की अदायगी प्रतिफल के रूप मे कद दी थी, इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही है। उक्त आराजीयात पर दायरी दावे के दिन या उससे पूर्व कभी भी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील ने अपनी बह समे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे दिनांक 14.6.2016 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो आज भी प्रभावी है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्रतिपक्षीगण उक्त आराजीयात को रहन बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है। प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावे कि वे हमारे हिस्से 1/2 मे मजाहमत व मदाखलत नही करे और बिना विभाजन किसी को रहन बैचान नही करे। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रतिपक्षीगण के वकील ने तर्कपूर्ण बहस मे कथन किया कि प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना पत्र दोनों ही गलत है। दोनों गांवो की दूरी 40 किलोमीटर है। हमने नगद प्रतिफल देकर भूमि प्राप्त की है। प्रतिपक्षीगण रिकार्डेड खातेदार है। प्रतिपक्षीगण को वादग्रस्त भूमि से पाबन्द नही किया जा सकता।

उभय पक्षों के वकील की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 वाके ग्राम सहादतनगर मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 156, 156/1436, 189, 190, 277, 1192, 1193 कुल किता 7 कुल रकबा 18.01 है0 जाहिदा बी पुत्री अब्दुल हमिद खां हि. 1/4, कबीर अहमद,

Scanned by CamScanner

अब्दुल कयूम पुत्रान तनवीर खानम रूबी खानम अनीस फातमा अजीज फातमा पुत्रियां कन्नो बी हि. 1/4, मोहम्मद उवेस मोहम्मद आरिफ पुत्रान सना परवीर पुत्री शाकेरा परवीन पत्नी स्व. मोहम्मद आरिफ व फरजाना रिजबाना पुत्रियां मसूदा बी पत्नि स्व. मोहम्मद आबिद हि. 1/4, नन्नी बीपुत्री अब्दुल वाहिद खां हि. 1/4 कोम मुसलमान सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है, ना. स. 990 दि0 21.12.14 हक त्यागकर्ता नन्नी बी पुत्री अ. वाहिद खां हि. 1/4 के बजाय मोहम्मद उवेस, मोहम्मद आसिफ पुत्र स्व. मोहम्मद आरिफ हि. 18/64 कोम मुसलमान सा. अलीगढ के नाम स्वीकार हुआ। ना.स. 991 दि. 21.12.14 हक त्याग पत्र द्वारा हक त्यागकर्ता सना परवीन पुत्री शाकिरा परवीन ध.प. स्व. मो. आरीफ हि. 2/64 के बजाय मोहम्मद उवेस, मोहम्मद आसिफ पुत्र स्व. मोहम्मद आरिफ हि. 20/64 कोम मुसलमान सा. अलीगढ के नाम स्वीकार हुआ। ना.स. 992 दि. 29.1.15 रहन पत्र द्वारा मोहम्मद उवेस पुत्र मोहम्मद आरीफ हि. 10/64 राहिन बैंक आफ बडोदा शाखा अलीगढ के नाम स्वीकार हुआ शेष बदस्तुर। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 वाके ग्राम अहमदनगर मे आराजी ख0न0 114 रकबा 3.79 है0 फरजान रिजवाना पुत्रियां मो. आबीद, मसूदाबी पत्नि मो. आबीद हि. 3/24 मो उवेज खान मो. आसिफ खान पुत्रान मो. आरिफ खान शना परवीन पुत्री मो. आरिफ खान श्रीमति शकिरा परवीन पत्नि मो आरिफ खान हि. 1/24 नन्ही बी पुत्री बीबी बेवा अब्दुल वहीद खां हि. 1/3 जाहिदा बी कन्नो बी पुत्रियां अब्दुल हमीद खां हि. 1/2 मुसलमान सा0 अलीगढ खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नामा. सं. 493 दि. 24.7.14 से मृतक कन्नो बीपुत्री अब्दुल खां के बजाय वारिसान कबीर अहमद अब्दुल कययुम पत्रान तनवीर खानम रूबी खानम अनिसा फातमा आसीफ फातमा पुत्रियां हि. 1/4 शेष बदस्तुर स्वीकार हुआ। नामा. 522 दि. 14.1.15 हक त्याग से शना परवीन पुत्री मो. आरिफ खान, श्रीमती शाकिरा परवीन पत्नि मो. मो. आरिफ खान हि. 1/48 व नन्ही बीपुत्री अब्दुल वहीद खां हि. 1/6 का हि. 3/16 मो. उवेज खान मो. आसिफ खान पुत्रान मो. आरिफ खान के नाम स्वीकार हुआ। शेष बदस्तुर।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। वाद तकासमा का है, यदि वादग्रस्त आराजीयात का बैचान दौराने दावा कर दिया जाता है तो वाद बाहुलता बढेगी। ऐसी परिस्थित के मध्यनजर रखते हुये न्यायालय वादग्रस्त आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को ताफेसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी ख0न0 खाता संख्या 88 ख0न0 156, 156/1436, 189, 190, 277, 1192, 1193 कुल किता 7 कुल रकबा 18.01 है0 वाके ग्राम सहादतनगर तहसील उनियारा तथा खाता संख्या 64 आराजी ख0न0 114 रकबा 3.79 है0 वाके ग्राम अहमदनगर तह0 उनियारा के राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

यह निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सन्तोष कुमार मीना
(आर.ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner